प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2024, थाना मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-571/23, धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रमेश प्रसाद विश्वकर्मा को अमघटी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वदिनी चन्द्रावती देवी पत्नी स्व0 लल्लू निवासिनी ग्राम चेतिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा की जमीन गाटा सं0-767 व 901 जो वादिनी के नाम दर्ज थी को विपक्षी रमेश प्रसाद विश्वकर्मा व उसके सहयोगियों द्वारा कूटरचित तरीके से धोखाधड़ी करते हुए बैनामा करवा लिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 29.01.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त रमेश प्रसाद विश्वकर्मा को अमघटी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. रमेश प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम खमहरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान-
अमघटी पुल के पास

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-571/23, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 अरविन्द कुमार।
02. हे0का0 इन्देश कुमार।
03. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2024

बैंक/एटीएम/ग्राहक सेवा केन्द्रों की चेकिंग-

सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों व अन्य वित्तीय संस्थानों की गहनता से की गयी चेकिंग-

गोण्डा। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 29.01.2024 को समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल क्षेत्र में व समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में बैंक, ए0टी0एम0, ग्राहक सेवा केन्द्र व अन्य वित्तीय संस्थानों की प्रभावी चेकिंग कर बैंक सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। चेकिंग के दौरान बैंक, ए0टी0एम0, ग्राहक सेवा केन्द्रों व अन्य वित्तिय संस्थानों के आस-पास संदिग्ध अनावश्यक खड़े व्यक्ति की चेकिंग की गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2024, थाना करनैलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना करनैलगंज पुलिस ने गोकसी करने के आरोप में 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो कच्चा, 02 किलो अधपका गोवंश, 02 अदद गड़ासा बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–39/24, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स ऐक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 28.01.2023 की रात्रि थाना को0 करनैलगंज के उ0नि0 मो0 यासीन मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिए मुखिबर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पतिसा के रहने वाले अब्दुल अजीज अपने घर पर अपने परिजनों के सहयोग से गोकसी कर रहे है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहॅुचकर घेराबन्दी कर अभियुक्त नजीर, व अभियुक्तागण रेशमा व शाहीन को गिरफ्तार कर वहां से 20 किलो कच्चा, 02 किलो अधपका गोवंश, चमड़ा, खुर व 02 अदद गड़ासा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हमलोग खाने तथा बेचने के लिए घुमंतू जानवरों में से छोटे जानवरो को पकड़ कर काटते है आज हमलोग अब्दुल अजीज, रोनू, कुरकुट, अख्तर के साथ मिलकर घुमंतू गाय के छोटे बछड़े को काटे थे। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ताओं के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः–
01. नजीर पुत्र करामत नि0 थरि मौजा पतिसा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. रेशमा पत्नी अब्दुल अजीज नि0 नयापुरवा मौजा पतिसा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. शाहीन पुत्री अब्दुल अजीज नि0 नयापुरवा मौजा पतिसा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–
01. मु0अ0सं0–39/24, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान–
नयापुरवा मौजा पतिसा

बरामदगीः–
01. 20 किलो कच्चा, 02 किलो अधपका गोवंश
02. 02 अदद गड़ासा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–
01. उ0नि0 मो0 यासीन।
02. हे0का0 अनिल यादव।
03. हे0का0 विजय कुमार।
04. हे0का0 सतीश सिंह।

05. का0 अजीत सिंह।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 29.01.2024,</u>

<u>शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 व थाना नवाबगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से चोरी की मोटरसाईकिल रखने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 का कारावास व रूपए 2,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप चोरी की मोटरसाईकिलों को रखने के आरोपी को 07 वर्ष कारावास व रु0 2,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 06.05.2017 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा 06 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को रखने के आरोप में अभियुक्त धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार का0 उपदेश वर्मा के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय गोण्डा कोर्ट ने 07 वर्ष के कारावास व रू 2,000/– के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मोनू पुत्र शीतला प्रसाद नि0 महुआ डाबर थाना गौर जिला बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–98/2017, धारा 411,413,414 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याकर शव को छुपाने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व रूपए 1,20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या कर शव को छुपाने के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व रु0 1,20,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0 देहात ने हत्या कर शव को छुपाने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों-01. रामकृपाल, 02. भवानदीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 देहात के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय गोण्डा कोर्ट ने आजीवन कारावास व रू 1,20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. रामकृपाल पुत्र राज बहादुर नि0 खम्महरिया हरिवंश थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. भवानदीन पुत्र रामबरन नि0 खम्महरिया हरिवंश थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-427/2020, धारा 302,34,201 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।